राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
National Institute of Fashion Technology
वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार / (Ministry of Textiles, Govt. of India)
भोपाल उपमार्ग सड़क, भौरी, भोपाल – 462030 / Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030
Website: nift.ac.in/Bhopal, Tel. (दूरभाष) 0755-2493736

<u>बर्गर ज्वाइंट चलाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आमंत्रण</u>

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR RUNNING BURGER JOINT

National Institute of Fashion Technology (NIFT) was set up by the Ministry of Textiles, Government of India in 1986 for the promotion and development of education and research in field of Fashion Technology and was accorded statutory status through an Act of Parliament, NIFT Act 2006. NIFT provides fashion business education across the country through its network of 19 centers. NIFT offers Under Graduate/ Post Graduate/PhD programmes in various fields of design, management and technology. It also offers Diploma/Certificate/Short-term/Hybrid programmes to address the specialised needs of professionals and students in the field of fashion. NIFT has its head office in New Delhi with its campuses located at Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Daman, Delhi, Gandhinagar, Hyderabad, Jodhpur, Kangra, Kannur, Kolkata, Mumbai, Panchkula, Patna, Raibareli, Shillong, Srinagar and Varanasi.

NIFT Bhopal started its operation in the year 2008 initially from a temporary campus located in M.P.Bhoj (Open) University Campus, Kolar Road, Bhopal and shifted to its permanent campus at Bhopal-Indore Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030 in 2022. Presently NIFT Bhopal has around 600 students and 60 employees. The number of students and employees may increase in the new academic year.

NIFT Bhopal is in the process of selection of a vendor to set-up and operate a Burger Joint in the food court in the campus. The terms and conditions on which the contract is to be awarded are given in the subsequent pages and are divided under the following headings:

- Overview of the Burger Joint
- Information and Instructions for Bidders
- Terms and conditions and scope of work
- Penalties for violation of rules, terms and conditions

OVERVIEW OF THE BURGER JOINT SHOP

1. **Location** - The designated area is Cafeteria Hall in the Resource Centre Building of NIFT at Bhopal-Indore Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030. An area measuring 250 sq ft approx., based on food court model, shall be provided. The bidders are advised to visit the Institute to physically see the designated area.

2. **General scope of the assignment**:

The Burger Joint shall be a facility provided to the students and employees of NIFT Bhopal. The services provided should match the requirements of NIFT Bhopal. The licensee shall

provide the services as required by the students and employees of NIFT Bhopal and the Institute. A tentative list of products/services to be provided at the Burger Joint and maximum rate for the same is given as Appendix to this document.

3. **Eligibility Criteria** - Any interested Agency/Firm/ Person shall be eligible to apply for setting up and running the Burger Joint at NIFT Bhopal, subject to meeting the following eligibility criteria:

(i) The Agency/Firm/ Person/ Company/ Shop should have a minimum of 3 years of experience in running a Burger Joint in educational institutions/colleges, authorised market places, commercial places/malls/food courts. There should be an existing menu of the brand.

(ii) The Agency/Firm/ Person/ Company/ Shop should have pan India presence with at least one outlet/shop operating in the state of Madhya Pradesh as on the last date of the bid.

(iii) The Agency/Firm/ Person/ Company/ Shop should be a reputed brand like Burger King, Burger Singh, Biggies Burger etc. or similar brand.

(iv) The Agency/Firm/ Person/ Company/ Shop should have a license from the appropriate Government Authority for running such establishment.

(v) The Agency/Firm/ Person/ Company/ Shop should have GST registration and PAN registration.

(iv) The Agency/Firm/ Person/ Company/ Shop should have an annual turnover of ₹ 90.00 lakh in last 3 Financial years (i.e. FY 2021-22; FY 2022-23 & FY 2023-24) (relevant supporting documents should be attached).

(v) The Agency/Firm/ Person/ Company/ Shop should not have been blacklisted by any Government department, PSU or any other organisation in respect of any assignment or behaviour.

INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR BIDDERS

1. **General**:

(i) All information called for in the annexed forms should be furnished against the relevant columns. If for any reason, information is furnished on a separate sheet, this fact should be clearly mentioned against the relevant column. Even if no information is to be provided in a column, a "nil" entry should be made in that column. If any particulars /queries are not applicable in case of the applicant, it should be stated as “NA". The applicants are cautioned that giving incomplete information, giving misleading or false representation, not giving information in clear terms, deliberately suppressing the information or making any change in the prescribed forms, statements and enclosures shall result in the application being summarily rejected.

(ii) The application should be in printed form. The bidder should fill up information in all the columns and sign each page of the application as well as the submitted documents. EOI shall be submitted in the prescribed format only along with all supporting documents as required. EOIs which are not in prescribed format or are incomplete or submitted without requisite documents shall be summarily rejected.

(iii) Overwriting should be avoided. Correction, if any, should be made by neatly crossing out, rewriting and authenticated by initialing with date. Pages of the EOI document are serially numbered. Additional sheets, if any added by the applicant, should also be numbered by him/her.

(iv) References, information and certificates from the respective clients certifying suitability, quality of services rendered in the past, know-how and capability of the applicant/firm should be signed by an authorised person only.

(v) Any information furnished by the applicant found to be incorrect either immediately or at a later date, would render him/her ineligible and the applicant shall be debarred from participation for providing their services in the same respect in future.

(vi) The EOI should be submitted in the proforma given in **Annexure I** & **II**. Annexure I, along with all supporting documents should be kept in an envelope marked as 'Technical Bid' and sealed; Annexure II should be kept in an envelope marked as 'Financial Bid' and sealed. Envelopes marked as Technical Bid and Financial Bid should be kept inside an envelope which should be super scribed with the words "**EOI** to set-up and operate a Burger Joint in NIFT Bhopal", sealed and enclosed in a sealed cover. The sealed cover addressed to the **Joint Director, National Institute of Fashion Technology, Bhopal-Indore Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030**, and containing the address of the bidder should be personally delivered or sent by registered post or courier only so as to reach the Institute by **04/08/2024 till 05:30 PM**. Applications sent by email, telegram or telex and those received late will not be entertained.

2. NIFT Bhopal reserves the right to amend or withdraw any of the terms and conditions mentioned in the Expression of Interest document or to reject any or all the application without giving any notice or assigning any reason thereof or incurring any liability to the bidders and shall not be bound to accept the qualified Expression of Interest. The decision of NIFT BHOPAL authorities in this regard shall be final and binding on all.

3. Evaluation of bid and selection of successful bidder shall be based on license fee quoted and discount offered on the products. Formula for calculation of weightage is given in Annexure-II. The discount quoted should be on the minimum rate (or lower than the minimum rate) of products being offered in the state of Madhya Pradesh. If the Agency/Firm/ Person/ Company/ Shop is offering similar products in a premium area like airports, malls, hotels etc and also in regular market places, then the lower rate of products out of the two places shall be considered for determining the rate of products. However, if only one outlet/shop of the Agency/Firm/ Person/ Company/ Shop is operating in the state of Madhya Pradesh, the same will be considered for determining the cost of products (the lowest rate list/brochure, as offered in the state of Madhya Pradesh, is required to be attached). **Minimum License Fee**

will be ₹ 5000/- (Rupees Five Thousand) per month. Successful bidder shall deposit **₹ 90,000/- (Rupees Ninety Thousand only) as Security Deposit** with NIFT Bhopal before the commencement of work/contract. No interest shall accrue on this deposit, and the security deposit will be returned after the successful completion of the contract and after adjusting dues, if any.

4. A **minimum discount of 10%** should be offered on products. Before submitting the Expression of Interest, the service provider is advised to visit the Institute to apprise himself of the logistics of the prospective assignment.

5. Expression of Interest will be opened after last date of EOI submission.

<u>TERMS AND CONDITIONS AND SCOPE OF WORK</u>

1. The Burger Joint is required to be run compulsorily on all days of academic semester and through the day from 08.00 AM to 8.00 PM. The Burger Joint will not be closed on any day except with the prior permission of the concerned authority.

2. Equipment installed/used shall be of good quality, conforming to laid down safety standards.

3. The items/products/ingredients used shall be of good quality and a reputed brand.

4. The prices of all the products shall be fixed in consultation with the designated committee and duly approved by the competent authority of NIFT Bhopal. Addition or deletion of any product, associated with Burger Joint, fixation or change in price has to be done with the prior approval of NIFT Bhopal authorities. Non-availability of items as per the list, without a valid reason will be considered a deficiency in service. Rate list of the items being provided is to be displayed at a conspicuous place in the Burger Joint.

5. Any modifications/changes to be made in the prices should be done in consultation with the designated committee and duly approved by the competent authority of NIFT Bhopal.

6. Furniture for the Burger Joint will be provided by the licensee. All the equipment required for the Burger Joint have to be arranged by the licensee itself. Maintenance of all the equipment being used by the licensee is solely his responsibility.

7. The minor work (maintenance) will be borne by the licensee.

8. The contract shall be initially for a period of one year and may be extended for a further period at the discretion of the competent authority.

9. The Licensee shall deposit **the Security Deposit** in NIFT **Bhopal Bank Account through NEFT/RTGS/Online transfers only. NIFT Bhopal Bank Account details are as under:**

NIFT General A/c No. : 549102010009108

Bank **: Union Bank of India, Kolar Road, Bhopal-462041**
IFSC **: UBIN0554910**

Kindly send the UTR Code Number to **accountsteam.bhopal@nift.ac.in**

10. Monthly License Fee shall be deposited by the Licensee by the 7th of every month in advance. License fee shall be payable for ten (10) months at full rate and for two (02) months (considering the total duration when the Institute is not in session) at 50% of the quoted license fee.

11. The licensee has to pay the electricity & water charges as per actual consumption as per sub-meter. Further, the licensee shall be responsible to protect the electrical and plumbing fittings/fixtures provided and for carrying out routine maintenance of the allotted area.

12. If the Licensee fails to pay the License Fee, and/or Electricity Charges in time or does not abide to their terms and conditions of the License, the License will be terminated and it will be awarded to another party.

13. The Licensee shall be personally responsible for compliance of Municipal by- laws relating to sanitary conditions and provide liveries to the staff of the Burger Joint shop.

14. It will be the sole responsibility of the Licensee to abide by the provisions of the following acts as to the workers engaged by him for performance of this contract.

(a) Minimum Wages Act 1948.
(b) Employee Provident Fund Act 1952
(c) Employee State Insurance Act 1948
(d) Contract Labour (Abolition & Regulation) Act 1970.
(e) Industrial Employment (standing orders) Act and rules 1946.
(f) Prohibition of Child Labour Act 1986.
(g) Payment of Bonus Act and Rules 1965.
(h) Workmen compensation Act 1923

15. Cleaning and housekeeping of the Burger Joint area will be the sole responsibility of the licensee. NIFT Bhopal would reserve the right to check on cleanliness and upkeep of premises and quality of services and products.

16. The licensee is responsible for removal and disposal of waste/garbage from the Burger Joint area on a daily basis.

17. The licensee should ensure that all the employees are free from communicable diseases. Medical Certificate to this effect should be available for inspection by the authorities. If any worker is found to be medically unfit, he/she may not be given permission to continue his/her duties and licensee has to replace them immediately without fail.

18. The licensee shall ensure that all persons employed by the licensee are well mannered and display courteous behavior.

19. No accommodation, no changing/resting room, will be provided to the workmen of the licensee.

20. All expenses related to the functioning of the employees engaged by the licensee shall be in the scope of the licensee.

21. Liability/responsibility in case of any accident, causing injury/death to shop worker or any of his staff shall be of the licensee. The Institute authorities shall not be responsible in any means in such cases.

22. The licensee shall not be allowed to transfer, assign, pledge or sub-contract its rights and liabilities under this contract to any other agency.

23. The licensee shall get suitable instructions from the designated official of NIFT Bhopal and shall provide the services promptly as per requirement.

24. Designated authority of the Institute will supervise the Burger Joint operations.

25. The licensee shall collect the charges from users and the Institute is not responsible for collection of any charges from users.

26. The Licensee shall be wholly responsible for payment of any and all taxes including but not limited to commercial property tax, sales tax, GST, duties cess under the existing or future Laws, acts, Rules, Orders, Notifications etc., issued by the Central or State Governments or any local authority, or body in respect or in connection with supplies and NIFT shall not be liable to pay such taxes, rates, duties etc., whether existing or which may accrue in future.

27. Failure to start work in time after issuing of work order or involvement of the licensee in illegal, unethical, violent activities or breach of any terms and conditions of the agreement will lead to debarment of the licensee from participating in any of the Tender/EOI of the institute.

28. NIFT Bhopal reserves the right to terminate the contract at one month’s notice without assigning any reason, for which no compensation / damages will be paid. The contractor shall remove himself / herself from the said premises with all belongings and leave it entirely vacant within one month of the date of notice of revocation or termination of the contract. In case the contractor is desirous of terminating the contract before expiry of the period agreed, then contractor shall provide three-month advance notice in writing to NIFT Bhopal. The termination of the contract shall not release either party of its obligation to pay any sums then owing to the other party and also perform or discharge any liability that had been incurred prior thereto.

29. On the expiry of the contract, the contractor shall hand over peacefully, possession of the said Burger Joint area and any other premises, together with fixtures and articles therein, in good condition to NIFT Bhopal and also shall give up his right in favour of NIFT Bhopal.

30. In case of a legal dispute arising out of or relating to the agreement or breach, or the invalidity thereof, the same shall first be attempted to be settled by discussions. If the

same is not resolved through mutual discussions, then the same shall be referred to the sole arbitration of the Director, NIFT Bhopal or any person nominated by him. The decision of the arbitrator shall be final and binding on both the parties. All disputes are subject to Bhopal (MP) jurisdiction only.

31. The successful bidder will have to make an agreement with NIFT Bhopal on terms and conditions of the contract on stamp paper. The contractor shall bear and pay all the costs / charges and expenses incidental to the preparation and execution of the signed agreement in duplicate. The Institute shall retain the original contract document and the contractor shall keep the duplicate of the same.

32. Violation of any of the terms of agreement, record of poor performance such as abandoning work, not properly completing the Contract, or financial failures /weaknesses etc may lead to termination of contract.

PENALTIES FOR VIOLATION OF RULES, TERMS AND CONDITIONS

The vendor will be fined inter alia in the following situation:

1. Any complaint about selling the services or products at a higher price than the pre-decided price will attract a minimum penalty of Rs.500/- per incidence.

2. Any complaint about selling any service without the permission of concerned authorities will attract a minimum penalty of Rs.500/- per incidence.

3. For any rule stated in the agreement first violation of the rule implies fine as per the rule. Second and subsequent violations of the same rule on a different day of the previous fine willattract triple the initial amount of fine on the licensee.

4. The final decision of fines being imposed lies with the Director, NIFT Bhopal.

5. The licensee has to pay the fine within 15 days of the fine imposed in one lumpsum, the full amount of the fine imposed.

Appendix

(Refer to Para 2 of
General scope of the assignment)

बर्गर जॉइंट में खाद्य पदार्थ विक्रय से सम्बंधित शर्तें

Conditions for Provisioning of Food Items at the Burger Joint

1. Burgers and associated food items as per the menu/printed literature of the brand shall be considered for provisioning.

2. Items out of the existing menu, to be offered in NIFT Bhopal shall be decided by a committee constituted for the purpose after identification of successful bidder.

3. Maximum selling price should not be more than the lowest retail price of the brand as existing in the State of Madhya Pradesh as on the last date of tender. These prices shall remain applicable for the entire period of contract, without any increase.

4. All food safety standards are to be ensured.

5. No stale/expired items/ingredients shall be used.

Signature and Seal of the Firm

Name of Firm:

Address of Firm:

Mobile No.:

E-mail ID:

Annexure-I

PROFORMA TO BE SUBMITTED BY BIDDERS WHILE SUBMITTING SEALED EXPRESSION OF INTEREST FOR RUNNING BURGER JOINT AT NIFT BHOPAL

1.	Name of the Bidder Type of Bidder (Agency/Proprietory Firm/ Person/ Company/ Shop/ Co-operative Society	
2.	Complete Address	
3.	Contact Details	
	• Land Line	
	• Mobile	
	• Email	
4.	• PAN No. (attach copy of PAN Card)	
	• GST No. (attach copy of certificate)	
	• Registration No.	
5.	Valid registration/license from appropriate government authority Registration No.	(attach the document and refer page No. here)
6.	Relevant experience as per eligibility criteria	(Give details and attach the document and refer page No. here)
7.	Document showing average annual turnover or Rs 90.00 lakh in the last three financial years	(attach the document and refer page No. here)

NOTE: Attach all relevant documents in support of above statements.

(Signature with stamp of the Authorised Signatory)

Date:______________________

SELF-DECLARATION

I hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge & belief and nothing has been concealed thereof. I also declare that the Agency/Firm/ Person/ Company/ Shop has not been blacklisted by any Government department, PSU or any other organisation in respect of any assignment or behaviour.

SIGNATURE :
(with stamp)

NAME / FIRM NAME :

ADDRESS :

DATE :

MOBILE No :

E-MAIL ID :

Annexure-II

<u>निफ्ट भोपाल को लाइसेंस शुल्क के भुगतान का प्रस्ताव</u>

OFFER FOR LICENSE FEE TO BE PAID TO NIFT BHOPAL AND DISCOUNT TO BE OFFERED ON PRODUCTS

1. The License fee (excluding electricity charges) I/We offer to pay to NIFT Bhopal for running Burger Joint at NIFT Bhopal is Rs (in figures)………………………………………………………………………. Rupees (in words) ……………………………………………………………………………………. per month.

(Please mention the amount in figures and in words. GST shall be charge separately, as applicable)

2. I/We shall offer a discount of…….% (in words, ……………………….) per item on the maximum price of services as indicated in Appendix A, for running Burger Joint at NIFT Bhopal.

Criteria of Selection: Weightage for License fee Quoted and discount offered on services will be calculated as under: -

Five (05) Marks will be awarded for every ₹ 500 quoted above the Minimum License Fee (i.e. ₹ 5000/-) with the total marks so awarded not exceeding 20.

Five (05) Marks will be awarded for every percentage of discount above the Minimum discount (i.e. 10%) quoted with the total marks so awarded not exceeding 80.

(Signature with stamp of the Authorised Signatory)

Date:

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
National Institute of Fashion Technology
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार / (Ministry of Textiles, Govt. of India)
भोपाल बाईपास रोड, भौरी, भोपाल – 462030 / Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030
वैबसाईट/Website: nift.ac.in/Bhopal, दूरभाष/Telephone 0755-2493736

बर्गर जोईंट चलाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आमंत्रण
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR RUNNING BURGER JOINT

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना वर्ष 1986 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसे भारत में शिक्षा और अनुसंधान के प्रचार और विकास के लिए 2006 में संसद के अधिनियम, निफ्ट अधिनियम 2006 के तहत फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैधानिक दर्जा दिया गया है। निफ्ट अपने 19 विभिन्न केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में फैशन व्यवसाय की शिक्षा प्रदान करता है। निफ्ट डिज़ाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी) /पीएचडी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करता है। निफ्ट फैशन के क्षेत्र में व्यवसायिकों और छात्रों की विशेष आवश्यकताओं पर केन्द्रित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट/अल्पकालिक/हाईब्रिड पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। निफ्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके विभिन्न परिसर बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दमन, दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, पंचकुला, पटना, रायबरेली, शिलांग, श्रीनगर और वाराणसी में स्थित हैं।

निफ्ट भोपाल संस्थान ने अपना संचालन वर्ष 2008 में एक अस्थायी परिसर, एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार रोड, भोपाल से शुरू किया था और यह वर्ष 2022 में भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030 में अपने स्थायी परिसर में स्थानांतरित हो गया। वर्तमान में निफ्ट भोपाल में लगभग 600 विद्यार्थी और 60 कर्मचारी हैं। नए शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थियों व कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

निफ्ट भोपाल अपने परिसर के फूड कोर्ट में बर्गर जोईंट की स्थापना और संचालन के लिए एक विक्रेता के चयन की प्रक्रिया में हैं।
जिन नियम और शर्तों पर अनुबंध प्रदान किया जाना है, वे अगले पृष्ठों में दिए गए हैं और निम्नलिखित शीर्षकों के तहत विभाजित किए गए हैं :

- बर्गर जोईंट का संक्षिप्त विवरण
- बोलीदाताओं के लिए सूचना एवं निर्देश
- नियम व शर्तें और निर्धारित कार्यक्षेत्र
- नियमों व शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना

बर्गर जोईंट का संक्षिप्त विवरण

1. **स्थान** : उपरोक्त के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030 स्थित निफ्ट के संसाधन केंद्र भवन में एक कैफेटेरिया हॉल है। बर्गर जोईंट के लिए फूड कोर्ट मॉडल अनुसार लगभग 250 वर्ग फुट का क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निर्दिष्ट क्षेत्र को देखने के लिए संस्थान का दौरा करें।

2. **प्रदत्त कार्य का कार्यक्षेत्र** : बर्गर जोईंट निफ्ट भोपाल के छात्रों और कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधा है। प्रदान किए जाने वाले उत्पादों को निफ्ट भोपाल की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। लाइसेंसधारी निफ्ट भोपाल और संस्थान के छात्रों व कर्मचारियों की आवश्यकता अनुरूप सेवाएं प्रदान करेगा। बर्गर जोईंट में प्रदान किए जाने वाले उत्पादों की एक अनंतिम सूची और सेवाओं की अधिकतम दर इस दस्तावेज़ के परिशिष्ट में दी गई हैं।

3. **पात्रता मानदंड** – कोई भी इच्छुक एजेंसी/फर्म/व्यक्ति निफ्ट भोपाल में बर्गर जोईंट स्थापित एवं संचालन करने के लिए आवेदन भेजने का पात्र होगा, जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है:

i. एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान के पास शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों, अधिकृत बाजारों या वाणिज्यिक स्थलों में बर्गर जोईंट के संचालन का न्यूनतम 3 साल का अनुभव होना चाहिए।

ii. एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान की अखिल भारतीय उपस्थिति होनी चाहिए, जिसमें बोली की अंतिम तिथि तक कम से कम एक दुकान मध्य प्रदेश में संचालित होनी चाहिए।

iii. एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान बर्गर किंग, बर्गर सिंह, बिग्गीस बर्गर इत्यादि जैसी एक प्रतिष्ठित ब्रांड होनी चाहिए।

iv. एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान के पास ऐसे प्रतिष्ठान के संचालन के लिए उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त लाइसेंस होना चाहिए।

v. एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान का जीएसटी पंजीकरण और पैन पंजीकरण होना चाहिए।

vi. एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान का पिछले 3 वित्तीय वर्षों में ₹ 90.00 लाख का वार्षिक कारोबार होना चाहिए (अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24) (प्रासंगिक सहायक दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए।)

vii. एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान को किसी भी प्रदत्त कार्य या व्यवहार के संबंध में किसी भी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों या किसी अन्य संगठन द्वारा वर्ज्य सूचित न किया गया हो।

बोलीदाताओं के लिए सूचना एवं निर्देश

1. सामान्य:

i. संलग्न प्रपत्र में मांगी गई सभी जानकारी संबंधित कॉलम में लिखी जानी चाहिए। यदि किसी कारण से, एक अलग पृष्ठ पर जानकारी दी जाती है, तो संबंधित कॉलम पर इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि किसी कॉलम में कोई जानकारी नहीं दी जानी है, तो भी उस कॉलम में 'शून्य' उल्लिखित किया जाना चाहिए। यदि कोई विवरण/प्रश्न आवेदक से संबंधित नहीं है तो उस कॉलम में "लागू नहीं" उल्लिखित किया जाना चाहिए। आवेदकों को सावधान किया जाता है कि अपूर्ण जानकारी, भ्रामक या गलत जानकारी देने, स्पष्ट शब्दों में जानकारी न देने, जानबूझकर जानकारी को छिपाने या निर्धारित प्रपत्रों, उल्लेखों और संलग्नकों में कोई बदलाव करने के परिणामस्वरूप उनके आवेदन को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

ii. आवेदन केवल हार्डकॉपी (मुद्रित) में होना चाहिए। बोलीदाता को सभी कॉलमों में जानकारी देनी चाहिए और आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ के साथ-साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईओआई केवल सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जाना चाहिए। वह ईओआई जो निर्धारित प्रारूप में नहीं है या अपूर्ण है या अपेक्षित दस्तावेजों के बिना जमा किए गए हैं, उन्हें पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

iii. अधिलेखन से बचना चाहिए। संशोधन, यदि कोई हो, के लिए गलती को स्पष्ट रूप से काट कर, पुनर्लेखन और तारीख के साथ आद्याक्षर करके प्रमाणित किया जाना चाहिए। ईओआई दस्तावेज़ के पृष्ठों को क्रमबद्ध तरीके से क्रमांकित किया गया है। अतिरिक्त पृष्ठ, यदि कोई हो जो आवेदक द्वारा जोड़ा गया है तो, उसे भी क्रमागत तरीके से लगाया जाना चाहिए।

iv. आवेदक/फर्म की उपयुक्तता, पूर्व में प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता, आवेदक/फर्म की जानकारी और क्षमता को प्रमाणित करने वाले संबंधित ग्राहकों के संदर्भ, सूचना और प्रमाण पत्र को केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित करवाया जाना चाहिए।

v. आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी या तो तुरंत या भविष्य में गलत पाई जाती है, तो, यह स्थिति उसके अनुबंध की पात्रता खत्म कर देगी और इसी आधार पर आवेदक को भविष्य में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदन भेजने से वंचित कर दिया जाएगा।

vi. ईओआई को **अनुलग्नक I और II** में दिए गए प्रोफार्मा में जमा किया जाना चाहिए। **अनुलग्नक I** और सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ एक सीलबंद लिफाफे पर 'तकनीकी बोली' उल्लिखित करके जमा किया जाना चाहिए; **अनुलग्नक II** एक सीलबंद लिफाफे पर 'वित्तीय बोली' उल्लिखित करके जमा किया जाना चाहिए। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के दोनों लिफाफे एक सीलबंद लिफाफे में जिसपर "निफ्ट भोपाल में बर्गर जोईंट की स्थापना और संचालन हेतु **ईओआई**" उल्लिखित कर भेजे जाने चाहिए। इस सीलबंद लिफाफे में आवेदन **संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030** को संबोधित किया जाना चाहिए जिसपर बोलीदाता का पता उल्लिखित होना चाहिए। उपरोक्त आवेदन व्यक्तिगत रूप से या केवल पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए जिससे कि यह आवेदन संस्थान में दिनांक **04/08/2024 शाम 05:30 बजे तक** पहुंच सके। ईमेल, टेलीग्राम या टेलेक्स द्वारा भेजे गए आवेदनों और देरी से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. निफ्ट भोपाल के पास रुचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज़ में उल्लिखित किसी भी नियम व शर्तों को संशोधित करने या वापस लेने या किसी भी या सभी आवेदन को बिना कोई सूचना दिए या कोई कारण बताए या बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व वहन न करने का अधिकार है और संस्थान योग्य रुचि की अभिव्यक्ति आवेदन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस संबंध में निफ्ट भोपाल के अधिकारियों का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

3. बोली का मूल्यांकन और सफल बोली लगाने वाले का चयन उद्धृत लाइसेंस शुल्क और उत्पादों पर प्रदान की गई छूट पर आधारित होगा। महत्व (weightage) calculate करने का formula अनुलग्नक-II में दिया गया है। उद्धृत छूट मध्य प्रदेश राज्य में प्रदान किए जा रहे उत्पादों की न्यूनतम दर (या न्यूनतम दर से कम) पर होना चाहिए। यदि एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान हवाईअड्डे, मॉल, होटल इत्यादि जैसे प्रीमियम क्षेत्र और नियमित बाजारों में भी समान उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं, तो मूल्य निर्धारित करने के लिए दोनों स्थानों में से उत्पादों के न्यूनतम दर पर विचार किया जाएगा। हालाँकि, यदि एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान का केवल एक आउटलेट/दुकान मध्य प्रदेश राज्य में संचालित है, तो उत्पादों का मूल्य (न्यूनतम दर सूची/विवरणिका जो मध्य प्रदेश राज्य में प्रदान किए जा रहे हैं, को संलग्न करना आवश्यक है) निर्धारित करने के लिए उसी के अनुसार विचार किया जाएगा। **न्यूनतम लाइसेंस शुल्क ₹5000/- (पांच हजार रुपए) प्रति माह होगी। सफल बोलीदाता कार्य/अनुबंध आरंभ होने से पूर्व राशि ₹ 90,000/- (नब्बे हजार रुपए) निफ्ट भोपाल को धरोहर राशि के रूप में जमा कराएगा।** इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, और अनुबंध के सफल समापन के बाद और बकाया राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।

4. उत्पादों पर न्यूनतम 10% की छूट प्रदान की जानी चाहिए और बेचे जाने वाले उत्पादों व उनके मूल्यों के संबंध में निर्धारित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। रुचि की अभिव्यक्ति जमा करने से पहले, सेवा प्रदाता को सलाह दी जाती है कि वह संभावित प्रदत्त कार्य की व्यवस्था से अवगत होने के लिए संस्थान का दौरा करें।

5. ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन खोले जाएंगे।

<u>नियम व शर्तें और निर्धारित कार्यक्षेत्र</u>

1. बर्गर जोईंट का संचालन शैक्षणिक सत्र के सभी दिनों में और पूरे दिन सुबह 08.00 बजे से रात 8.00 बजे तक अनिवार्य रूप से करने की आवश्यकता है। बर्गर जोईंट को संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी दिन बंद नहीं किया जाएगा।

2. स्थापित / उपयोग किए जाने वाले उपकरण अच्छी गुणवत्ता व निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

3. उपयोग की जाने वाली वस्तुएं/उत्पाद अच्छी गुणवत्ता और एक प्रतिष्ठित ब्रांड की होनी चाहिए।

4. सभी उत्पादों के मूल्य निर्दिष्ट समिति के परामर्श से तय की जाएंगी और निफ्ट भोपाल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित की जाएंगी। बर्गर जोईंट से संबंधित किसी भी उत्पाद को सम्मिलित करना या हटाना, मूल्य निर्धारण या परिवर्तन, निफ्ट भोपाल के अधिकारियों के पूर्व अनुमोदन पर ही किया जाएगा। बिना किसी वैध कारण के सूची के अनुसार उत्पादों की अनुपलब्धता को सेवा में कमी माना जाएगा। प्रदान किए जाने वाले उत्पादों की रेट-लिस्ट बर्गर जोईंट में एक विशिष्ट स्थान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

5. मूल्यों में किए जाने वाले किसी भी संशोधन/परिवर्तन को निर्दिष्ट समिति के परामर्श उपरांत और निफ्ट भोपाल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदन उपरांत ही किया जाना चाहिए।

6. बर्गर जोईंट के लिए फर्नीचर लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। बर्गर जोईंट के लिए आवश्यक सभी उपकरणों की व्यवस्था लाइसेंसधारी द्वारा ही की जानी है। लाइसेंसधारी द्वारा उपयोग किए जा रहे सभी उपकरणों का रखरखाव पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है।

7. मामूली काम (रखरखाव) लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

8. अनुबंध शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

9. लाइसेंसधारी **केवल एनईएफटी/आरटीजीएस/ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से निफ्ट भोपाल के बैंक खाते में धरोहर राशि जमा करेगा। निफ्ट भोपाल के बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:**

   निफ्ट सामान्य खाता सं. : 549102010009108
   बैंक : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोलार रोड, भोपाल-462041
   आईएफएससी : UBIN0554910

   कृपया यूटीआर कोड नंबर **accountsteam.bhopal@nift.ac.in** पर भेजें।

10. लाइसेंसधारक द्वारा मासिक लाइसेंस शुल्क हर महीने की 07 (सात) तारीख तक अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क दस (10) महीनों के लिए पूर्ण दर पर और दो (02) महीनों के लिए (कुल अवधि को ध्यान में रखते हुए जब संस्थान सत्र में नहीं होता है) उद्धृत लाइसेंस शुल्क का 50% पर देय होगा।

11. लाइसेंसधारी को उप-मीटर की वास्तविक रीडिंग के अनुसार मासिक बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, लाइसेंसधारी, प्रदान की गई विद्युत और प्लमबिंग फिटिंग्स/फिक्स्चर की सुरक्षा और आवंटित क्षेत्र के नियमित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

12. यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस शुल्क और/या बिजली शुल्क का समय पर भुगतान करने में असफल रहता है या लाइसेंस के नियमों व शर्तों का पालन नहीं करता है, तो लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा और अन्य पार्टी को प्रदान कर दिया जाएगा।

13. लाइसेंसधारी स्वच्छता स्थितियों से संबंधित नगरपालिका उप-कानूनों के अनुपालन और बर्गर जोईंट के कर्मचारियों को वर्दी प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

14. यह लाइसेंसधारी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह इस अनुबंध के क्रियान्वयन में उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधानों का पालन करे एवं करवाए:

   क. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

   ख. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952

   ग. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948

   घ. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970

   ङ. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम और नियम 1946

   च. बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986

   छ. बोनस संदाय अधिनियम और नियम 1965

   ज. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923

15. बर्गर जोईंट क्षेत्र की सफाई और हाउसकीपिंग लाइसेंसधारक की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। निफ्ट भोपाल को बर्गर जोईंट परिसर की सफाई व रखरखाव और सेवाओं व उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने का अधिकार है।

16. लाइसेंसधारी दैनिक आधार पर बर्गर जोईंट क्षेत्र से अपशिष्ट/कचरे को हटाने और निपटान के लिए जिम्मेदार है।

17. लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारी संक्रामक रोगों से मुक्त हैं। इस संदर्भ में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए चिकित्सीय प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसे कार्य को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और लाइसेंसधारी को उसे तुरंत बदलना होगा।

18. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त सभी व्यक्ति व्यवहार कुशल हैं और विनम्र व्यवहार रखते हैं।

19. लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को कोई आवास, चेंजिंग/विश्राम कक्ष प्रदान नहीं किया जाएगा।

20. लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के कामकाज व संबंधित सभी खर्च लाइसेंसधारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

21. दुकान के कर्मचारी या लाइसेंसधारी के कर्मचारी की किसी भी दुर्घटना से चोट/मृत्यु के कारण उत्पन्न देयता/उत्तरदायित्व केवल ठेकेदार का होगा। ऐसे मामलों में संस्थान प्राधिकरण किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

22. लाइसेंसधारी को इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों और देनदारियों को किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित करने, नियुक्त करने, गिरवी रखने या उप-अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

23. लाइसेंसधारी को निफ्ट भोपाल के निर्दिष्ट अधिकारी से उपयुक्त निर्देश प्राप्त होंगे और आवश्यकतानुसार तुरंत सेवाएं प्रदान करनी होंगी।

24. संस्थान का निर्दिष्ट प्राधिकारी बर्गर जोईंट के संचालन की निगरानी करेगा।

25. लाइसेंसधारी ग्राहकों से सीधे शुल्क एकत्र करेगा और इस संबंध में संस्थान ग्राहकों से किसी भी प्रकार का शुल्क लेने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

26. लाइसेंसधारी सभी करों के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जिसमें केंद्र या राज्य सरकारों या किसी स्थानीय प्राधिकरण, या निकाय द्वारा आपूर्ति के संबंध में या उसके संबंध में जारी किए गए वाणिज्यिक संपत्ति कर, बिक्री कर, जीएसटी, मौजूदा या भविष्य के कानूनों, अधिनियमों, नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि के तहत शुल्क-उपकर शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं और निफ्ट ऐसे करों, दरों, कर्तव्यों आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य में अर्जित हो सकता हो।

27. कार्य आदेश जारी होने के बाद समय पर काम शुरू करने में असफलता या लाइसेंसधारी की अवैध, अनैतिक, हिंसक गतिविधियों में शामिल होने की स्थिति में, या अनुबंध के किसी भी नियम व शर्तों के उल्लंघन से लाइसेंसधारी को संस्थान की ईओआई/ किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

28. निफ्ट भोपाल बिना कोई कारण बताए एक महीने की सूचना पर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। अनुबंध के निरस्तीकरण या समाप्ति की सूचना की तारीख के एक महीने के भीतर ठेकेदार सभी सामान के साथ उक्त परिसर से हट जाएगा और इसे पूरी तरह से खाली कर देगा/देगी। यदि ठेकेदार सहमत अवधि की समाप्ति से पहले अनुबंध को समाप्त करने का इच्छुक है, तो ठेकेदार निफ्ट भोपाल को तीन महीने की अग्रिम सूचना लिखित रूप में प्रदान करेगा। अनुबंध की समाप्ति किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को देय किसी भी राशि का भुगतान करने और उससे पहले के किसी भी दायित्व को पूरा करने या निर्वहन करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है।

29. अनुबंध की समाप्ति पर, ठेकेदार निफ्ट भोपाल को उचित स्थिति में फिक्स्चर और संबंधित समान के साथ उक्त बर्गर जोईंट क्षेत्र और किसी अन्य परिसर का शांतिपूर्वक आधिपत्य सौंप देगा और निफ्ट भोपाल के पक्ष में अपना अधिकार भी छोड़ देगा।

30. समझौते या उल्लंघन से उत्पन्न या उससे संबंधित कानूनी विवाद के मामले में, या उसकी अमान्यता के मामले में, किसी भी विसंगति को पहले चर्चा द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि इसे आपसी चर्चा के माध्यम से हल नहीं किया जाता है, तो इसे निदेशक निफ्ट भोपाल या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति से मध्यस्थता से हल करने का प्रयास किया जाएगा। दोनों पक्षों के लिए मध्यस्थ का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। सभी विवाद केवल भोपाल (म. प्र.) क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

31. सफल बोलीदाता को स्टांप पेपर पर अनुबंध के नियमों व शर्तों पर निफ्ट भोपाल के साथ एक अनुबंध करना होगा। ठेकेदार दो प्रतियों में हस्ताक्षरित अनुबंध के संबंध में की गई तैयारी और निष्पादन के लिए प्रासंगिक सभी लागतों/शुल्कों और खर्चों को वहन करेगा और उनका भुगतान करेगा। संस्थान मूल अनुबंध दस्तावेज़ को रखेगा और ठेकेदार उसी की प्रतिलिपि रखेगा।

32. अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन, खराब कार्य निर्वहन का रिकॉर्ड जैसे कि काम छोड़ना, अनुबंध को ठीक से पूरा नहीं करना, या वित्तीय विफलता/कमजोरियां आदि अनुबंध की समाप्ति का कारण बन सकती हैं।

<u>नियमों व शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना</u>

विक्रेता पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित स्थितियों पर जुर्माना लगाया जाएगा:

1. पूर्व निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य उत्पादों को बेचने के बारे में प्राप्त किसी भी शिकायत पर न्यूनतम 500/- रुपए प्रति घटना का जुर्माना लगाया जाएगा।

2. संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी अन्य उत्पाद बिक्री के बारे में प्राप्त किसी भी शिकायत पर न्यूनतम 500/- रुपए प्रति घटना का जुर्माना लगाया जाएगा।

3. अनुबंध में दिए गए किसी भी नियम के प्रथम उल्लंघन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। पिछले जुर्माने के बाद उसी नियम का दोबारा उल्लंघन और निरंतर उल्लंघन करने पर लाइसेंसधारी पर जुर्माने की प्रारंभिक राशि का तिगुना जुर्माना लगाया जाएगा।

4. जुर्माना के संबंध में अंतिम निर्णय निदेशक, निफ्ट भोपाल का होगा।

5. लाइसेंसधारी को जुर्माना लगाए जाने के 15 दिनों के भीतर लगाए गए जुर्माने की पूरी एकमुश्त राशि का भुगतान करना होगा।

<u>परिशिष्ट</u>

(संदर्भ के लिए पैरा 2 "प्रदत्त कार्य का कार्य क्षेत्र" देखें)

बर्गर जॉइंट में खाद्य पदार्थ विक्रय से संबंधित शर्तें

Conditions for Provisioning of Food Items at the Burger Joint

1. **बर्गर और संबंधित खाद्य प्रदार्थों के प्रावधान पर ब्रांड के मेन्यू/मुद्रित साहित्य के अनुसार विचार किया जाएगा।**
2. **निफ्ट भोपाल में विक्रय हेतु उपलब्ध मेन्यू से अतिरिक्त उत्पादों के विक्रय का निर्णय, एक गठित समिति द्वारा सफल बोलीदाता के चयन के उपरांत किया जाएगा।**
3. **अधिकतम विक्रय मूल्य , निविदा की अंतिम तिथि अनुसार ब्रांड के मध्यपरदेश राज्य में संचालित आउटलेट के न्यूनतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। ये निर्धारित मूल्य, बिना किसी मूल्य वृद्धि के अनुबंध की पूर्ण अवधि तक मान्य रहेंगे।**
4. **सभी खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
5. **कोई भी बासी/उत्पाद के उपयोग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को नजरंदाज कर ऐसे उत्पादों/सामाग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा।**

फर्म के हस्ताक्षर और सील

फर्म का नाम :

फर्म का पता :

मोबाइल नंबर :

ई–मेल आईडी :

बोलीदाता द्वारा निफ्ट भोपाल में बर्गर जोईंट चलाने के लिए सीलबंद रुचि की अभिव्यक्ति जमा करने के लिए प्रोफार्मा

1.	बोलीदाता का नाम बोलीदाता का प्रकार (एजेंसी/मालिकाना फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान–सहकारी समिति)	
2.	पूरा पता	
3.	संपर्क विवरण	
	• दूरभाष	
	• मोबाईल	
	• ईमेल	
4.	• पैन नं. (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)	
	• जीएसटी नं. (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
	• पंजीकरण सं.	
5.	उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी से प्राप्त वैध पंजीकरण/लाइसेंस पंजीकरण संख्या	(दस्तावेज़ संलग्न करें और संबंधित पृष्ठ संख्या उल्लिखित करें)
6.	पात्रता मानदंड के अनुसार आवश्यक अनुभव	(विवरण दें और दस्तावेज़ संलग्न करें और संबंधित पृष्ठ संख्या उल्लिखित करें)
7.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत 90.00 लाख रुपए का वार्षिक कारोबार प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़	(दस्तावेज़ संलग्न करें और और संबंधित पृष्ठ संख्या उल्लिखित करें)

नोट: उपरोक्त कथनों के समर्थन में सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर) दिनांक :

स्व-घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि यह एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान को किसी भी प्रदत्त कार्य या व्यवहार के संबंध में किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम या किसी अन्य संगठन द्वारा वर्ज्य सूचित नहीं किया गया है।

(मोहर सहित हस्ताक्षर)

नाम/फर्म का नाम :

पता :

दिनांक :

मोबाइल नंबर :

ई-मेल आईडी :

अनुलग्नक II

निफ्ट भोपाल को लाइसेंस शुल्क के भुगतान और उत्पादों पर प्रदान की जाने वाली छूट का प्रस्ताव

OFFER FOR LICENSE FEE TO BE PAID TO NIFT BHOPAL
AND DISCOUNT TO BE OFFERED ON PRODUCTS

1. मैं/हम निफ्ट भोपाल में बर्गर जोईंट की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रतिमाह राशि रुपए ……………… /-(अंकों में) ………………………………………………………………… (राशि शब्दों में) के लाइसेन्स शुल्क (बिजली बिल को छोड़कर) का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

(कृपया अंकों व शब्दों में राशि का उल्लेख करें। जीएसटी अलग से जैसा लागू होगा, वसूला जाएगा)

2. मैं/हम सभी उत्पादों के मूल्यों पर जैसा कि **परिशिष्ठ 'क'** में लिखा गया है के अनुसार .... % की छूट (शब्दों में ....) प्रदान करूंगा/करेंगे।

चयन करने का मापदंड : उद्धृत लाइसेंस शुल्क का महत्व (weightage) और उत्पादों पर प्रदान की गई छूट के महत्व (weightage) की गणना निम्नानुसार की जाएगी :
न्यूनतम लाइसेंस शुल्क (अर्थात ₹ 5000/-) से ऊपर उद्धृत प्रत्येक ₹ 500 के लिए पांच (05) अंक दिए जाएंगे, इस प्रकार दिए गए कुल अंक 20 से अधिक नहीं होंगे।
उद्धृत न्यूनतम छूट (अर्थात 10%) से अधिक प्रत्येक प्रतिशत की छूट के लिए पांच (05) अंक दिए जाएंगे, साथ ही दिए गए कुल अंक 80 से अधिक नहीं होंगे।

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर)

दिनांक: